



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062026-273088
CG-DL-E-03062026-273088

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 369]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 2, 2026/ज्येष्ठ 12, 1948

No. 369]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 2, 2026/JYAISTHA 12, 1948

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2026

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2026

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2026-27/जी.एन./आर.ई.जी.150.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया) विनियम, 2019 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया) विनियम, 2019 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) के विनियम 2 के खंड (छ) का लोप किया जाएगा।
3. मूल विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (3) में, "प्ररूप क" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्ररूप में, जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे।
4. मूल विनियमों के विनियम 10 के उप-विनियम (3) के खंड (ज) में, "धारा 164," शब्द, अंकों और चिह्न के पश्चात् "धारा 164क," अक्षरांकीय अंतःस्थापित किया जाएगा।
5. मूल विनियमों में, विनियम 20 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"20क. आस्तियों के अंतरण को सुकर बनाना
 (1) जहां ऋणी एक ऐसा व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाता है, जिसके विरुद्ध शोधन अक्षमता प्रक्रिया चल रही है, वहां ऐसे ऋणी का शोधन अक्षमता न्यासी, जिसने व्यक्तिगत प्रत्याभूति दी है, ऐसे निगमित ऋणी के समाधान व्यावसायिक के साथ, जिसकी बाबत ऐसी प्रत्याभूति दी गई है, ऐसे निगमित ऋणी की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया में, जिसकी बाबत धारा 28क के प्रयोजनों के लिए ऐसी प्रत्याभूति दी गई है, आस्ति के अंतरण के संबंध में समन्वय करेगा।
 (2) धारा 28क के प्रयोजनों के लिए, ऐसे ऋणी का शोधन अक्षमता न्यासी ऋणी के लेनदारों की समिति की बैठक से, जिसने ऐसे निगमित ऋणी की, जिसकी बाबत ऐसी प्रत्याभूति दी गई है, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया में आस्ति का अंतरण करने के लिए व्यक्तिगत प्रत्याभूति दी गई, अनुमोदन प्राप्त करेगा।
 (3) जहां लेनदारों की समिति द्वारा अंतरण अनुज्ञात करते हुए अनुमोदन प्रदान किया जाता है वहां ऐसे ऋणी का शोधन अक्षमता न्यासी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित अंतरण को विनियम 7 और धारा 155 के अधीन समुचित रूप से प्रकट किया जाए।
6. मूल विनियम के विनियम 26 के उप-विनियम (2) में, "प्ररूप ख" शब्दों के स्थान पर "ऐसा प्ररूप, जो बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे।
7. मूल विनियमों में, प्ररूप क और प्ररूप ख का लोप किया जाएगा।

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./139/2026-27]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया) विनियम, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 412, तारीख 20 नवम्बर, 2019 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.051, तारीख 20 नवम्बर, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं.133, तारीख 25 फरवरी, 2026 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2025-26/ जी.एन./आर.ई.जी.139, तारीख 25 फरवरी, 2026 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(निगमित ऋणियों के व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम 2026 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st June, 2026

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Bankruptcy Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) (Second Amendment) Regulations, 2026

F. No. IBBI/2026-27/GN/REG150.— In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Bankruptcy Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Bankruptcy Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) (Second Amendment) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Bankruptcy Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019, (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in regulation 2, clause (g) shall be omitted.

3. In the principal regulations, in regulation 3, in sub-regulation (3), for the word "Form A", the words "such form as notified by the Board through circular" shall be substituted.

4. In the principal regulations, in regulation 10, in sub-regulation (3), in clause (h), after words, numerical and mark "section 164,"; the alphanumerical "164A," shall be inserted.

5. In the principal regulations, after regulation 20, the following regulation shall be inserted, namely:-

"20A. Facilitation of transfer of assets.

(1) Where the debtor is a personal guarantor who is undergoing a bankruptcy process, the bankruptcy trustee of such debtor who has given the personal guarantee shall coordinate with the resolution professional of the corporate debtor in respect of whom such guarantee has been given, regarding transfer of assets in the corporate insolvency resolution process of the corporate debtor in respect of whom such guarantee has been given for the purposes of section 28A.

(2) For the purposes of section 28A, the bankruptcy trustee of such debtor shall obtain approval from the meeting of committee of creditors of the debtor who has given the personal guarantee for transfer of assets in the corporate insolvency resolution process of the corporate debtor in respect of whom such guarantee has been given.

(3) Where approval is granted by the meeting of committee of creditors permitting the transfer, the bankruptcy trustee of such debtor shall ensure that the proposed transfer is appropriately disclosed under regulation 7 and section 155."

6. In the principal regulations, in regulation 26, in sub-regulation (2), for the words "Form B", the words "such form as notified by the Board through circular" shall be substituted.

7. In the principal regulations, Form A and Form B shall be omitted.

RAVI MITAL, Chairperson
[ADVT.-III/4/Exty./139/2026-27]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Bankruptcy Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors) Regulations, 2019 were published vide notification No. IBBI/2019-20/GN/REG051, dated 20th November, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 412 on 20th November, 2019 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Bankruptcy Process for Personal Guarantors to Corporate Debtors)(Amendment) Regulations, 2026 published vide notification No. IBBI/2025-26/GN/REG139, dated the 25th February, 2026 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No.133 on 25th February, 2026.